**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4055**

**19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति**

**†4055. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत गोंदिया और भंडारा में परियोजनाओं के पूरा होने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के लिए निधि आवंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) सरकार विभिन्न शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधनों के वितरण में पारदर्शिता और समानता किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(च) क्या अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियों के आवंटन में कोई विलंब अथवा गलत आवंटन हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) 15.11.2024 तक, राज्य की स्मार्ट सिटीज द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत, 17,042 करोड़ रु. की लागत वाली 347 परियोजनाओं के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,851 करोड़ रु. की लागत

वाली 318 परियोजनाएं (अर्थात् कुल परियोजनाओं का 92%) पूरी हो चुकी हैं। शेष 2,191 करोड़ रु. की लागत वाली 29 परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

(ख) स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत गोंदिया और भंडारा शहर 100 स्मार्ट सिटीज का हिस्सा नहीं हैं।

(ग) भारतीय शहरी विकास के लिए भारत सरकार की नीति और कार्यनीति भारत के संविधान में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करती है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि 'भूमि' और 'कॉलोनीकारण' राज्य के विषय हैं। इसके अलावा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243डब्ल्यू) के अनुसार, शहरी नियोजन सहित नगर नियोजन भी शहरी स्थानीय निकायों /शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। हालांकि, भारत सरकार तेजी से हो रहे शहरीकरण को तीव्र आर्थिक विकास की दिशा में एक अवसर के रूप में देखती है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

(घ) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा साझा किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों की विभिन्न श्रेणियों के लिए केंद्रीय हिस्सा निम्नानुसार है:

| शहरी स्थानीय निकाय | केंद्रीय हिस्सा |
|---|---|
| संघ राज्य क्षेत्र | 100% परियोजना निधि केंद्र द्वारा |
| उत्तर-पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्य | 90% परियोजना निधि केंद्र द्वारा |
| एक लाख से कम जनसंख्या वाले | 50% परियोजना निधि केंद्र द्वारा |
| एक लाख से दस लाख तक की जनसंख्या (दोनों सम्मिलित) | परियोजना निधि का एक तिहाई हिस्सा केंद्र द्वारा |
| दस लाख से अधिक जनसंख्या | परियोजना निधि का 25% केंद्र द्वारा (सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड के तहत ली गई परियोजनाओं को छोड़कर) |

(ड.) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) का देश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में संसाधनों के वितरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। सभी 4,915 सांविधिक कस्बों और शहरों में सफाई, सभी के लिए आवास, शहरी गरीबी और स्वच्छ पेयजल की समस्याओं को राष्ट्रीय शहरी मिशनों, जैसे सफाई और स्वच्छता के लिए "स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)", सभी के लिए आवास के लिए "प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)", शहरी गरीबी उपशमन के लिए "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" और "दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" और पेयजल और स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति के लिए "अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

(एएमआरयूटी)" शुरू करके हल किया जा रहा है। इसके बाद, बेहतर और उच्च शहरी प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए क्षेत्र आधारित विकास और अखिल शहर समाधान दृष्टिकोण के माध्यम से एससीएम के तहत 100 शहरों का चयन किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न शहरों में शहरी मोबिलिटी समस्याओं से निपटने के लिए मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) भी चालू है।

(च) और (छ) अमृत के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी अवधि की बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाएं हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कारणों से देरी हुई है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, जलवायु संबंधी चुनौतियां, अपेक्षित मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने में देरी और जटिल शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अनुभवी और तकनीकी रूप से कुशल ठेकेदारों की कमी शामिल है।

अमृत के तहत परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, अमृत के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए, स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) के गठन का प्रावधान है।

*****